पश्चिम बंगाल राज्य

बनाम

सदन के. बोरमल और अन्य

(निर्णय की तिथिः 29-04-2004)

(एन संतोष हेगड़े और बीपी सिंह)

भष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:

धारा 26 ए (जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम,1994 द्वारा अंतःस्थापित गया) - डब्ल्यू. बी. आपराधिक कानून संषोधन अधिनियम (विशेष न्यायाधीश) अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश, 1988 अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायाधीश माना जाता है - इसका प्रभाव - अभियुक्तों ने अपराध किया है जबकि पी सी अधिनियम ,1947 लागू था - लेकिन 1947 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 के तहत राज्य में कोई विशेष न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया था - हालांकि 1947 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 1949 के अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया था - उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद विशेष

न्यायालय को नये सिरे से कोई क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया गया था जो 1947 के अधिनियम को निरस्त करता है - इसकी वैधता - निर्धारित - धारा 26-ए के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश को 1947 के अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार था - विशेष न्यायाधीश को 1947 के अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, उच्च न्यायालय को तब तक मुकदमे को स्थगित रखना चाहिए था जब तक कि क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया जाये।

कानूनों की व्याख्याः

कानूनी मंशा को प्रभावी बनाना - निर्धारित - अदालत को कानूनी मंशा के उद्देश्य का पता लगाना चाहिए और उन सभी तथ्यों और परिणामों को उपधारित करना चाहिए जो कानूनी मंशा को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य हैं - लेकिन मंशा को उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए यह कानून बनाया गया था - इसे किसी अन्य मंशा के तहत विस्तारित नहीं किया जा सकता है - इसके अलावा, विधानमंडल उसी अधिनियम द्वारा कानूनी मंशा की एक श्रृंखला बना सकता है।

उत्तरदाताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के साथ-साथ दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 420,419,467,468 और 471 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया

गया था। उत्तरदाताओं द्वारा अगस्त 1988 से एक माह के अन्दर आरोपित अपराध कारीत करने का आरोप था। एक महीने बाद, 1947 के अधिनियम को निरस्त करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 लागू हुआ। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष 31-10-1988 को उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद, 1947 के अधिनियम के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 के तहत मामले को विशेष न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया।

उत्तरदाताओं ने सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के लागू होने के बाद उन्हें इसका अधिकार नहीं दिया गया था। इस आपत्ति को विशेष न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसके बाद उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और यह माना कि हालांकि विशेष न्यायालय को पहले 1947 के अधिनियम के तहत अपराधों पर मुकदमा चलाने का अधिकार था, क्योंकि 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद उसे ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया था, क्योंकि 1947 के अधिनियम को निरस्त कर दिया था, इसलिए 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद ऐसे अपराधों पर

मुकदमा चलाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इस बीच, भ्रष्टाचार निवारण (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1994 ने पूर्वव्यापी रूप से 1988 के अधिनियम में धारा 26 ए जोड़ दी, जो पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त विशेष न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इसलिए अपील दायर की गई है।

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठाः-

क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के लागू करने के दौरान किये गये किसी भी अपराध की सुनवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से लागू होने के बाद 1947 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए सशक्त न्यायालयों द्वारा की जा सकती है?

अपील को अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. भ्रष्टाचार निवारण (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम,1994 ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में धारा 26-ए को पूर्वव्यापी रूप से सम्मिलित करके एक कानूनी प्रावधान बनाया जिसके तहत पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम 1949 के तहत नियुक्त एक विशेष न्यायाधीश, 1988 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले या उसके बाद भी, लेकिन पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रारंभ

से पहले, 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त एक विशेष न्यायाधीश माना जावेगा और इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रासांगिक तिथि पर उसके समक्ष लंबित सभी कार्यवाही को निपटाना जारी रखने का अधिकार था। पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 की धारा 4, 1988 के अधिनियम के अनुसरण में विशेष न्यायाधीश द्वारा कि गई कार्यवाहीयों को सुरक्षित और वैध करार देती है जैसे कि पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 तब लागू था तथा ऐसा आदेश पारित किया गया था या ऐसी साक्ष्य दर्ज की गई थी या ऐसी कार्रवाई की गई थी। इस प्रकार देखा जाए तो पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम 1994 के प्रावधान, उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों का पूरा जवाब प्रदान करता है।(880-डी-एफ)

2. पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्तों / उत्तरदाताओं की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश जिन्हें पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त किया गया था, कथित तौर पर 1988 के अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए एवं अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने के लिए क्षेत्राधिकार निहित हैं, और 1988 के अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए उनके द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को संषोधन अधिनियम के रूप में संरक्षित और मान्य

किया गया है। जैसे की 1994 का संशोधन अधिनियम तब लागू था जब ऐसा आदेश पारित किया गया था या ऐसा साक्ष्य दर्ज किया गया था या उनके द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई थी। कानूनी मंशा को प्रभावी बनाते हुए, यह उपधारित किया जाना चाहिए कि धारा 26-ए को 1988 के अधिनियम में शामिल किया गया था जब यह लागू हुआ था।(880-जी; 881-ए)

3. यह निवेदीत है कि यदि केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है जो वास्तव में 1988 के अधिनियम के प्रभाव में आने की तारीख को उनके समक्ष लंबित थे तो 1994 के पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित धारा 26-ए के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी होगी जो 1988 के अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद भी नियुक्त विशेष न्यायालयों के कार्यों को वैधता प्रदान करता है। (881-जी)

मंचेरी पुथुसेरी अहमद बनाम कुथिरावट्टम एस्टेट रिसीवर, (1996) 6 एस. सी. सी. 185, महाराष्ट्र राज्य बनाम लालजीत राजशी शाह, (2000) 2 एस. सी. सी. 699 और सी. आई. टी. बनाम। मून मिल्स लिमिटेड, ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 870, पर निर्भर था।

4. भले ही यह तर्क के लिए माना जाता है (हालांकि तथ्यात्मक स्थिति इस मामले में अलग है) कि 1947 के अधिनियम को 1988 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था, और 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत अपराधों का

मुकदमा चलाने के लिए कोई विशेष न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया था, इसका परिणाम यह नहीं होगा कि किए गए अपराध समाप्त हो गए और परिणामस्वरूप अपराधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में, अपराधियों के मुकदमे को तब तक के लिए स्थगित करना पड़ा जब तक कि उन अपराधों को कानून के अनुसार चलाने के लिए विशेष अदालतों का गठन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को मुकदमे को तब तक स्थगित रखना चाहिए था जब तक कि कानून के अनुसार आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए एक सक्षम न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जाता।(882-ए-बी)

राज्य बनाम श्री एस. बंगारप्पा, (2000), सप 4 एस. सी. आर. ने भरोसा किया।

5. जहाँ तक कानूनी प्रावधान की मंशा की व्याख्या का संबंध है यह तुच्छ है कि न्यायालय को उस उद्देश्य का पता लगाना चाहिए जिसके लिए प्रावधान बनाये है और ऐसा करने के बाद उन सभी तथ्यों और परिणामों को उपधारित करना चाहिए जो ऐसी मंशा का प्रभाव है। किसी मंशा का अर्थ निकालने में इसे उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया है या उस खंड की भाषा से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके द्वारा इसे बनाया गया है। इसे किसी अन्य मंशा तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। (882 - ई-एफ)

ईस्ट एंड ड्वेलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, (1951) 2 सभी ई. आर. 587, संदर्भित।

6. विधायिका कभी-कभी कानूनी प्रावधान की एक श्रृंखला बना सकती है। कार्य करें या बाद के अधिनियमों द्वारा। यदि विधानमंडल एक कानूनी मंशा बनाने वाले प्रावधान को लागू करने के लिए सक्षम है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आवश्यकता पड़ने पर वह कल्पनाओं की एक श्रृंखला क्यों नहीं बना सकता है। यह सच है कि किसी प्रावधान की व्याख्या करने में किसी अन्य प्रावधान को अन्तस्थापित करना अदालत के लिए लिए खुला नहीं है। (883 - एफ-जी)

येल्लप्पगौड़ा शंकरगौड़ा पाटिल बनाम बसनगौड़ा शिद्दनगौड़ा पाटिल , आकाशवाणी (1960) एससी 808 ने भरोसा किया।

7. इसलिए यह माना जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार की रोकथाम (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1994, 1988 के अधिनियम में धारा 26-ए को शामिल करके, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त विशेष न्यायालयों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र निहित है। उनके द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को मान्य किया जाता है जैसे कि पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 लागू था जब ऐसी कार्रवाई की गई थी। (884 - बी-सी)

आपराधिक अपील न्याय निर्णयः आपराधिक अपील सं. 877/ 1998.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के सीआरएल. आर. सं. 2578/1994 के निर्णय और आदेश दिनांक 21.2.1997 से पारित।

उत्तरदाताओं के लिए उमा दत्ता।

न्यायालय का निर्णय बी.पी. सिंह, जे. द्वारा दिया गया था।

पश्चिम बंगाल राज्य ने 1994 के आपराधिक संशोधन संख्या 2578 में 21 फरवरी, 1997 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति द्वारा इस अपील को पेश प्रस्तुत किया, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। यह मानते हुए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 के संक्षिप्त अधिनियम के लिए) के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष अदालतें) अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त तीसरी विशेष अदालत, कलकत्ता के पास भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षिप्त अधिनियम 1988) लागू होने के बाद कथित अपराध के तहत उत्तरदाताओं पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो 9 सितंबर 1998 से लागू था। यह माना गया कि यद्यपि उक्त अदालत को पहले 1947 के अधिनियम के

तहत अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार था, क्योंकि 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद इसे नए सिरे से ऐसा कोई क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया गया, जिसने 1947 के अधिनियम को निरस्त कर दिया, 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद ऐसे अपराधों की सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।

मामले के जिन तथ्यों पर विवाद नहीं है उन्हें संक्षेप में दोहराया जा सकता है। उत्तरदाता भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी थे और संबंधित समय में इसकी नेताजी सुभाष रोड शाखा, कलकत्ता में काम कर रहे थे। उनके खिलाफ 1947 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ आईपीसी 1860 की धारा 120 बी , 420 , 419 , 467 , 468 और 471 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि अपराध उनके द्वारा अगस्त, 1988 के आसपास किए गए थे। एक महीने बाद 09.09.1988 को 1947 के अधिनियम को निरस्त करते हुए 1988 का अधिनियम लागू हुआ। उत्तरदाताओं के खिलाफ 31.10.1988 को एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। 09.09.1988 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता की अदालत के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसने अपने आदेश दिनांक 12.7.1990 द्वारा संज्ञान लिया और मामले को सुनवाई के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 17 वीं अदालत में स्थानांतरित कर दिया। हालाँकि, लोक अभियोजक द्वारा उठाई गई आपत्ति पर कि उक्त न्यायालय के

पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि यह विशेष न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय था, उक्त मामले को तीसरे विशेष न्यायाधीश, कलकत्ता की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो एक सशक्त अदालत थी। 1947 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 के तहत तीसरे विशेष न्यायाधीश ने 22 मार्च, 1993 को संज्ञान लिया जब उस न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था।

इसमें उत्तरदाताओं ने मामले की सुनवाई के लिए तीसरे विशेष न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 के लागू होने के बाद उन्हें इसका अधिकार नहीं था। आपत्ति को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उत्तरदाताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में रुख किया।

एकमात्र प्रश्न जो हमारे सामने विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या 1947 का अधिनियम लागू रहने के दौरान किए गए किसी अपराध की सुनवाई 1947 के अधिनियम को निरस्त कर 9.9.1988 से 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद 1947 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए अधिकार प्राप्त न्यायालयों द्वारा की जा सकती है। उच्च

न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं का मामला यह था कि पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1949 द्वारा विशेष न्यायालयों को 1947 के अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया था। अधिनियम के लागू होने के बाद 1988 में उन अदालतों को ऐसा कोई क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया गया था और इसलिए, वे 1988 के अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते थे या उस पर मुकदमा नहीं चला सकते थे।

इसलिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1947 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ इस विषय पर प्रभाव डालने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। 1947 के अधिनियम की धारा 5 कदाचार को परिभाषित करती है जबकि धारा 5ए उन पुलिस अधिकारियों की गणना करती है जो अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की जांच करेंगे। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 की धारा 6, केंद्रीय अधिनियम 1947 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करती है, लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य का संबंध है, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन के कारण (विशेष अदालतें) संशोधन अधिनियम , 1953, आपराधिक कानून (संशोधन), अधिनियम, 1952 की धारा 5 से 10 को पश्चिम बंगाल राज्य पर लागू नहीं

किया गया। इसलिए, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1952 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की गई थी। हालाँकि, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 द्वारा, प्रांतीय सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आपराधिक क्षेत्राधिकार के विशेष न्यायालयों का गठन करने और समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मामलों को एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा आवंटित करने का अधिकार दिया गया था। विशेष न्यायाधीश के पास अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराधों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था, जिसमें 1947 के अधिनियम की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध भी शामिल था।

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि 1947 के अधिनियम की धारा 5 के तहत अपराध को विशेष रूप से पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त एक विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय बनाया गया था। इस बाबत विवाद नहीं है कि तृतीय विशेष न्यायाधीश जिसके समक्ष उत्तरदाताओं को मुकदमे के लिए रखा गया था, वह न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार से संपन्न था।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, 09-सितंबर-1988 से लागू हुआ। 1988 के अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार या राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए आवश्यक कई

विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देती है या क्षेत्रों या ऐसे मामले या मामलों के समूह के लिए जो उसमें उल्लिखित अपराधों की सुनवाई के लिए अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, जिसमें 1988 के अधिनियम के तहत दंडनीय कोई भी अपराध शामिल है। धारा 4 ऐसे मामलों को विशेष रूप से एक विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय बनाती है । धारा 5 विशेष न्यायाधीश को अभियुक्तों को सुनवाई के लिए सौंपे बिना अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है और वारंट मामलों की सुनवाई के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का प्रयास करती है। मजिस्ट्रेट उक्त अधिनियम की धारा 26 और 30 प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैंः-

> "धारा 26 - 1952 के अधिनियम 46 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश इस अधिनियम के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश होंगे। किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आपराधिक कानून संशोधन धिनियम, 1952 के तहत नियुक्त प्रत्येक विशेष न्यायाधीश और इस अधिनियम के प्रारंभ पर पद धारण कर रहे हैं उस क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त एक विशेष न्यायाधीश माना जाता है और, तदनुसार, ऐसे प्रारंभ

से, प्रत्येक ऐसा न्यायाधीश प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रारंभ पर उसके सामने लंबित सभी कार्यवाहियों का निस्तारण जारी रखेगा।''

''धारा 30 निरसन और बचाव:- (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1947 (1947 का 2) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम , 1952 (1952 का 46) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, लेकिन सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के आवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , अधिनियमों के तहत या अनुसरण में किया गया कुछ भी या कोई कार्रवाई की गई या की जाने वाली कथित कार्रवाई इस प्रकार निरस्त किया गया, जहां तक यह इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत या उसके अनुसरण में किया गया या लिया गया माना जाएग'

जैसा कि पहले देखा गया था कि पश्चिम बंगाल राज्य में 1947 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम , 1952 के तहत कोई विशेष न्यायाधीश नियुक्त नहीं

किया गया था। हालाँकि, विशेष न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम 1949 के तहत नियुक्त किया गया था।

उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि 1988 के अधिनियम की धारा 3 और 4 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 1988 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई वर्तमान लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ निहित होते हुए भी केवल उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं। 1988 के अधिनियम की धारा 26 ने केवल आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 की धारा 5 के तहत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की रक्षा की है, न कि पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम 1949 जैसे किसी अन्य अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 1988 का अधिनियम एक केंद्रीय विधान होने के कारण पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 के प्रावधानों पर अत्यधिक प्रभाव डालता था। न्यायालय के पहले के निर्णयों के बाद विद्वान न्यायाधीश ने माना कि किसी अपराध का संज्ञान इसके तहत लिया जाता है। पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 की धारा 2 के तहत नियुक्त एक

विशेष न्यायाधीश द्वारा 1988 के अधिनियम के प्रावधान कानून में स्वीकार्य नहीं थे और इसलिए, संज्ञान लेने का आदेश खराब, अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना था।

अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 6614-जे दिनांक 23 अप्रैल, 1993 पर भरोसा रखा गया था। उक्त अधिसूचना द्वारा पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 2 की उपधारा (2) के तहत नियुक्त सभी न्यायाधीश या विशेष न्यायालय और ऐसे न्यायाधीशों के रूप में कार्य करते हुए नियुक्त किए गए थे। 1988 के अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश अपने संबंधित न्यायालयों के क्षेत्रों के संबंध में 1988 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित अपराधों की सुनवाई के उद्देश्य से नियुक्त थे। अपीलकर्ता के तर्क को विद्वान न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिसूचना जिसने वास्तव में 1988 के अधिनियम की धारा 3 को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया था, कानूनी नहीं थी और कानून में स्वीकार्य थी, और यदि ऐसा प्रभाव दिया जाना था तो केंद्रीय विधान द्वारा ऐसा किया जा सकता था न कि सरकारी अधिसूचना द्वारा, क्योंकि अधिसूचना कानून के प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकती। मामले

को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और उत्तरदाताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

जब 6 अप्रैल, 2004 को पहली बार हमारे सामने उच्च न्यायालय द्वारा देखे गए विभिन्न प्रावधानों के आधार पर अपील पर बहस की गई और तर्क दिया गया था की कार्यवाही को क्षेत्राधिकार की कमी के कारण सही तरीके से रद्द कर दिया गया था। दूसरी ओर, अपीलकर्ता-राज्य के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। 23.04.1993 की अधिसूचना पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि किसी भी स्थिति में, उक्त अधिसूचना द्वारा न्यायालयों को 1988 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था। वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि 1988 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया है, अभियोजन को रद्द करने के बजाय उसे तब तक स्थगित रखा जा सकता था जब तक विशेष अदालतों को ऐसे अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया। राज्य के वकील की दलील है कि 1947 के अधिनियम के तहत किया गया अपराध 1947 के अधिनियम के निरसन से समाप्त नहीं होता है, और वास्तव में इसका मुकदमा 1988 के अधिनियम

के संबंधित प्रावधानों के तहत चलाया जा सकता है। प्रश्न 1988 के अधिनियम के लागू होने के बाद 1947 के अधिनियम के तहत किसी अपराध की सुनवाई करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में था।

बाद में, अपीलकर्ता के वकील द्वारा यह हमारे ध्यान में लाया गया कि पश्चिम बंगाल विधानमंडल ने एक अधिनियम बनाया है जिसे भ्रष्टाचार निवारण (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1994 के रूप में जाना जाता है। यह 23 दिसंबर, 1999 को कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। जब मामले पर पहली बार बहस हुई तो उक्त अधिनियम को न तो उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया गया, न ही हमारे ध्यान में। इसलिए, हमने मामले की दोबारा सुनवाई की और हमारे संज्ञान में लाए गए नए अधिनियम के आधार पर पक्षों को अपनी बात रखने के लिए परामर्श देने का अवसर दिया।

भ्रष्टाचार निवारण (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1994 की धारा 2 द्वारा, पश्चिम बंगाल अधिनियम संख्या 1994 के एलवीआई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 को पश्चिम बंगाल राज्य में लागू करने के उद्देश्य से और तरीके से संशोधित किया गया है अधिनियम के तहत प्रदान किया गया। 1988 के अधिनियम में धारा 26ए जोड़ी गई है जो इस प्रकार हैः-

“26ए- 1949 के पश्चिम बंगाल अधिनियम 21 के तहत विशेष न्यायालयों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त न्यायाधीशों को इस अधिनियम के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश माना जाएगा।-(1) पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन के तहत एक विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 (1949 का वेस्ट बेन अधिनियम 21), किसी भी क्षेत्र याक्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के प्रारंभ पर पद धारण करने वाले को उस क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश माना जाएगा। और, तदनुसार, ऐसे प्रारंभ से ही प्रत्येक ऐसा न्यायाधीश इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रारंभ पर उसके समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों से निपटना जारी रखेगा।

(2) किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 के तहत एक विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त प्रत्येक न्यायाधीश, इस अधिनियम के शुरू होने के बाद लेकिन इसके शुरू ने से पहले किसी भी तारीख को

पद धारण करता है। भ्रष्टाचार निवारण (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1994 (बाद में उक्त तिथि के रूप में संदर्भित) और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करने के लिए, उस क्षेत्र के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त एक विशेष न्यायाधीश माना जाएगा। या क्षेत्र और, तदनुसार, उक्त तिथि से, प्रत्येक ऐसा न्यायाधीश अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त तिथि पर उसके समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों से निपटना जारी रखेगा।

पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 की धारा 4 इस प्रकार प्रदान करती हैः -

4. मूल अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के होते हुए भी बचत और सत्यापन, पारित कोई आदेश, दर्ज किया गया कोई साक्ष्य, या इसके तहत नियुक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा मूल अधिनियम के तहत की गई कोई कार्रवाई पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949, और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले मूल अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करने का तात्पर्य, द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तहत वैध रूप से पारित, दर्ज या लिया

गया माना जाएगा। यह अधिनियम इस प्रकार है मानो यह अधिनियम तब लागू था जब ऐसा आदेश पारित किया गया था या ऐसा साक्ष्य दर्ज किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।''

धारा 26ए की उप-धारा (1) पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1949 के तहत विशेष न्यायालयों की अध्यक्षता के लिए नियुक्त न्यायाधीशों से संबंधित है, जो 1988 के अधिनियम के प्रारंभ पर पद धारण करते हैं उन्हें धारा 3 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश माना जाता है । 1988 का अधिनियम और, तदनुसार, ऐसे प्रारंभ से ही वे 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1988 के अधिनियम के प्रारंभ होने पर उनके समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों से निपटना जारी रखेंगे।

धारा 26ए की उपधारा (2) पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त न्यायाधीशों और 1988 के अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद लेकिन 1994 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी भी तारीख को पद धारण करने से संबंधित है। ऐसे विशेष न्यायाधीश 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करने का इरादा रखने वाले को 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश माना जाता है। तदनुसार, उक्त तिथि से, प्रत्येक ऐसा न्यायाधीश

उसके समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों से उक्त तिथि पर 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटना जारी रखेगा।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि उप-धारा (1) अपने आवेदन में 1988 के अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त एक विशेष न्यायाधीश तक ही सीमित है, जबकि उप-धारा (2) अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। 1988 के अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद लेकिन 1994 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी भी तारीख को पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त न्यायाधीश। दोनों मामलों में उन्हें धारा 3 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश माना जाता है। 1988 के अधिनियम और 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों से निपटने के लिए सशक्त हैं।

पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 की धारा 4 एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल विशेष के तहत नियुक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा 1988 के अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश, दर्ज किए गए किसी भी साक्ष्य या की गई किसी भी कार्रवाई को बचाने और मान्य करने का प्रयास करती है। न्यायालय अधिनियम, 1949, 1994 के पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करने का

तात्पर्य है। यह आगे प्रावधान किया गया है कि पारित ऐसे सभी आदेश, दर्ज किए गए साक्ष्य या किए गए कार्यों को वैध माना जाएगा। पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित 1988 के अधिनियम के तहत पारित, दर्ज या लिया गया, जैसे कि जब ऐसी कार्रवाई की गई थी तो बाद वाला अधिनियम लागू था।

इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम , 1994 ने 1988 के अधिनियम में धारा 26ए डालकर एक कानूनी मंशा रची है, जिसके तहत अधिनियम के शुरू होने से पहले ही पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1949 के तहत एक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। 1988, या उसके बाद, लेकिन पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रारंभ होने से पहले, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के तहत नियुक्त एक विशेष न्यायाधीश माना जाता है और परिणामस्वरूप लंबित सभी कार्यवाहियों से निपटने के लिए जारी रखने का अधिकार दिया जाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक तिथि पर उसके समक्ष पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 की धारा 4 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कार्य करने वाले ऐसे विशेष न्यायाधीशों द्वारा की गई सभी कार्यवाहीयों को बचाती है और मान्य करती है जैसे कि पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 उस समय लागू था जब ऐसा आदेश दिया गया

था। इस प्रकार देखा जाए तो, पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रावधान उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने उठाए गए तर्कों का संपूर्ण उत्तर प्रदान करते हैं।

पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम 1994 के प्रावधानों के मद्देनजर, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्तों/उत्तरदाताओं की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश और जिन्हें पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त किया गया था और 1988 के अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए कहा गया था, अब उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है , और कानून के संचालन से 1988 के अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों को बचाया और मान्य किया जाता है जैसे कि 1994 का संशोधन अधिनियम तब लागू था जब ऐसा था आदेश पारित किया गया था या ऐसे साक्ष्य दर्ज किए गए थे या उसके द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई थी। कानूनी मंशा को प्रभावी बनाते हुए हमें उपधारित करना चाहिए कि धारा 26ए 1988 के अधिनियम में शामिल हो गई थी जब यह लागू हुआ था।

उत्तरदाताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा बनाई गई कल्पना को विस्तारित संचालन नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे कानून पर विचार करते समय, न्यायालय को इस

बात पर विचार करना चाहिए कि रची गई कल्पना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका प्रभाव क्या है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित 1988 के अधिनियम के प्रावधानों को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर, केवल वे कार्यवाही बच जाती हैं जो 1988 अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित थीं। 9 सितंबर, 1988. इस मामले में संबंधित तारीख पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी क्योंकि मामला अभी भी जांच के अधीन था।

उन्होंने आगे कहा कि एक कानूनी प्रावधान में एक कानूनी मंशा पर एक काल्पनिक विधान पढ़ना स्वीकार्य नहीं है। उनके अनुसार, एक कानून केवल एक काल्पनिक रचना कर सकता है और इसलिए, 1988 के अधिनियम के प्रावधानों की दो काल्पनिक रचना के रूप में व्याख्या करना स्वीकार्य नहीं है, सबसे पहले यह कि विशेष न्यायाधीशों को अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त किया गया माना जाता है । 1988, और दूसरा, यह मानना की उनके द्वारा की गई सभी कार्रवाइयां 1988 के अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार थीं, जैसे कि जब ऐसी कार्रवाइयां की गईं तो पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम 1994 लागू था।

उनके अनुसार, 1988 के अधिनियम के लागू होने से पहले किया गया कोई भी अपराध और जिसके संबंध में विशेष न्यायाधीश के समक्ष

कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी, समाप्त हो जाना चाहिए और आरोपी पर उस अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। वकील ने मनचेरी पुथुसेरी अहमद और अन्य में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के तीन निर्णयों पर भरोसा किया है। बनाम कुथिरावट्टम एस्टेट रिसीवर (1996) 6 एससीसी 185 महाराष्ट्र राज्य बनाम. लालजीत राजशी शाह एवं अन्य। (2000) 2 एससीसी 699 और आयकर आयुक्त (केंद्रीय) कलकत्ता बनाम। मून मिल्स लिमिटेड एआईआर 1966 एससी 870। हालाँकि, हमें उपरोक्त निर्णयों में उत्तरदाताओं की ओर से आग्रह किए गए सबमिशन का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं मिला।

यह दलील कि विशेष न्यायाधीशों द्वारा केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई की जा सकती है जो वास्तव में 1988 के अधिनियम के लागू होने की तारीख पर उनके समक्ष लंबित थे, एक असंगत धारणा पर आगे बढ़ता है और धारा 26 ए की उप-धारा (2) के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करता है। 1988 के अधिनियम को पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा शामिल किया गया, जिसने 1988 के अधिनियम के प्रभावी होने के बाद भी नियुक्त विशेष न्यायालयों की कार्रवाइयों को वैधता प्रदान की।

भले ही, तर्क के लिए यह मान लिया जाए (हालाँकि इस मामले में तथ्यात्मक स्थिति अलग है) कि 1947 का अधिनियम 1988 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है, और अधिनियम की धारा 3 के

तहत कोई विशेष न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया गया है । 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1947 के तहत अपराधों की सुनवाई करने का परिणाम यह नहीं होगा कि किए गए अपराध समाप्त हो गए और परिणामस्वरूप अपराधियों पर बिल्कुल भी मुकदमा नहीं चलाया जा सका। ऐसी स्थिति में, अपराधियों के मुकदमे को तब तक के लिए स्थगित करना पड़ा जब तक कि कानून के अनुसार उन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें नहीं बनाई गईं। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को तब तक मुकदमे को स्थगित रखना चाहिए था जब तक कि सक्षम न्यायालय को कानून के अनुसार आरोपी पर मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता। इस न्यायालय के पास केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम राज्य में ऐसी स्थिति पर विचार करने का अवसर था। श एस. बंगरप्पा, (2000) एसयूपीपी 4 एससीआर. इस न्यायालय ने कहा।

> ''इसके अलावा, अगर उच्च न्यायालय ने पाया कि 21 सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश, बैंगलोर को ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, तो यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार कैसे हो सकता है? सबसे खराब स्थिति में यह मामले को स्थानांतरित करने का आधार होगा उस न्यायालय से उस न्यायालय तक, जिसके पास अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, और

यदि किसी न्यायालय को तब तक सशक्त नहीं किया गया है, तो आपराधिक कार्यवाही को तब तक स्थगित रखा जा सकता है जब तक कि सरकार किसी अन्य न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करने वाली अधिसूचना जारी नहीं करती ह'

जहां तक एक कानूनी कल्पना रचने वाले प्रावधान की व्याख्या का सवाल है, यह सामान्य बात है कि न्यायालय को उस उद्देश्य का पता लगाना चाहिए जिसके लिए कल्पना बनाई गई है और ऐसा करने पर उन सभी तथ्यों और परिणामों को मान लेना चाहिए जो देने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम हैं। कल्पना पर प्रभाव. किसी कल्पना की व्याख्या करते समय इसे उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया है या उस खंड की भाषा से परे नहीं जाना चाहिए जिसके द्वारा इसे बनाया गया है। किसी अन्य उपन्यास को आयात करके इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं और हमारे लिए इस विषय पर अधिकारियों से संपर्क करना आवश्यक नहीं है। इस सिद्धांत को ईस्ट एंड डवेलिंग कंपनी लिमिटेड वी. फिन्सबरी बरो काउंसिल, (1951) 2 ऑल ईआर 587 में लॉर्ड एस्क्विथ द्वारा संक्षेप में बताया गया है, जब उन्होंने देखा।

यदि आपको मामलों की एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए बाध्य किया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, वास्तविक परिणाम और घटनाओं की भी कल्पना करनी चाहिए, यदि मामलों की अनुमानित स्थिति वास्तव में अस्तित्व में थी, तो अनिवार्य रूप से प्रवाहित होना चाहिए इसके साथ कानून कहता है कि आपको मामलों की एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, जब उस स्थिति के अपरिहार्य परिणामों की बात आती है तो आपको अपनी कल्पना को भ्रमित करना चाहिए या अनुमति देनी चाहिए।

उपरोक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में निर्णयों में अनुमोदित किया गया है।

इन सिद्धांतों को पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम 1994 के प्रावधानों पर लागू करने पर, जो 1988 के अधिनियम में पूर्वव्यापी प्रभाव से धारा 26ए सम्मिलित करता है, हम पाते हैं कि विधानमंडल को रोकथाम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति में विफलता के कारण पैदा हुई कमी के बारे में पता था। भ्रष्टाचार अधिनियम , 1988 के। हालाँकि, अपराध दर्ज किए गए थे, आरोपियों पर मुकदमा चलाने के उनके अधिकार क्षेत्र के संबंध में संबंधित न्यायालयों के समक्ष आपत्तियां उठाई जा रही थीं और कुछ मामलों में ऐसी आपत्तियों को

बरकरार रखा गया था। इसलिए, विधानमंडल के लिए 1988 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों को हस्तक्षेप करना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करना अनिवार्य हो गया। हालांकि पश्चिम बंगाल राज्य में विशेष न्यायाधीशों को पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त किया गया था, लेकिन वे 1988 का अधिनियम लागू होने के बाद अपराधों का संज्ञान नहीं लिया जा सका और उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका, क्योंकि 1947 का अधिनियम निरस्त हो गया और 1988 के अधिनियम की धारा 26 पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1949 के तहत बनाई गई विशेष अदालतों को नहीं बचा पाई। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल विधानमंडल ने 1988 के अधिनियम में धारा 26ए को शामिल करते हुए 1994 के पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। चूंकि, विशेष अदालतें उनके सामने लाए गए मामलों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती रहीं, इसलिए विधानमंडल ने कानून द्वारा ऐसे मामलों को वैधता प्रदान की।

इस दलील को भी निरस्त किया जाना चाहिए कि एक कानून केवल एक ही कल्पना रच सकता है। येल्लाप्पगौड़ा शंकरगौड़ा पाटिल बनाम बसनगौड़ा शिद्दंगौड़ा पाटिल, एआईआर 1960 एससी 808य में न्यायालय ने यह माना कि विधायिका कभी-कभी एक ही अधिनियम या अगले अधिनियमों द्वारा काल्पनिक कथाओं की एक श्रृंखला बना सकती है। यदि

विधायिका कानूनी कल्पना रचने वाले प्रावधान को अधिनियमित करने में सक्षम है, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि आवश्यकता पड़ने पर वह काल्पनिक कथाओं की श्रृंखला क्यों नहीं बना सकती। यह सच है कि एक कानूनी कल्पना रचने वाले प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय किसी अन्य कल्पना को आयात करने के लिए खुला नहीं है।

वर्तमान मामले में, पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा 1988 के अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य 1988 के अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति को पूरा करना है, जिसने 1947 के अधिनियम को निरस्त कर दिया। इस स्थिति को पूरा करने के लिए कानून ने माना कि, उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन, पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीशों को 1988 के अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त किया गया है। उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसे आगे माना गया था कि 1988 के अधिनियम के तहत पारित कोई भी आदेश, दर्ज किए गए साक्ष्य, या कथित तौर पर की गई कार्रवाई को 1988 के अधिनियम के तहत वैध रूप से पारित या दर्ज किया गया माना जाएगा, जैसे कि 1988 का अधिनियम पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित हो। उस समय लागू थे. इसलिए, हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण (पश्चिम बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1994 में 1988 के अधिनियम में संशोधन

करके धारा 26 ए को शामिल करके पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1949 के तहत नियुक्त विशेष न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र निहित कर दिया गया है। इसमें निर्धारित शर्तों के अधीन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 के तहत अपराधों की सुनवाई की जाएगी। उनके द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को इस तरह मान्य किया जाएगा जैसे कि पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम, 1994 उस समय लागू था जब ऐसी कार्रवाई की गई थी। दुर्भाग्य से, उपरोक्त अधिनियम जो मामले को नियंत्रित करता है, उस पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। पार्टियों के वकील भी पश्चिम बंगाल संशोधन अधिनियम 1994 को उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाने में लापरवाही बरत रहे थे, और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय गलत था।

इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, तीसरे विशेष न्यायाधीश, कलकत्ता के समक्ष कार्यवाही को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को रद्द करते हैं और उक्त न्यायालय को कानून के अनुसार मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेन्द्र सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |